


14.6.22 पाणवली पेश हुई। वकील मद्रा काशम उपास्थित नहीं है।
वकील वादी व वादी एवं वकील उतेवादी एवं प्रतिवादी में
को न्यायालय समक्ष एक बार-बार आवाज लगाई -
गई लेकिन कोई उपाधि नहीं आये और वा. दी
प्रमाण अवसर के प्रतिवादी में की तामीर हेतु
तलबाना मौस पेश नहीं किया गया है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 ज 188
रा. टी. ए. प्रमाण अवसर के प्रतिवादी में की तामीर
हेतु तलबाना मौस पेश नहीं करने के अभाव में
अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज
किया जाता है। पाणवली के सल्लु शुम्भार हेक्टर -
जम्बर सैयम हेक्टर दाखिल दफ्तर है। निर्णय
द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।


उपर्युक्त आदेश
पर तामिर लेव

